न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-1, फिरोजाबाद।

उपस्थितः आर०पी० सिंह,   ''एच०जे०एस०''

जमानत प्रार्थनापत्र सं०-0000055/2017

पदम जैन पुत्र श्री सुरेश जैन, निवासी जैन गली, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।   ....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।   .... आपत्तिकर्ता।

आदेश

यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त पदम जैन पुत्र श्री सुरेश जैन की ओर से सत्र परीक्षण सं०-331B/2008, मुकदमा अपराध सं०-164/2005, धारा 147, 148, 149, 307, 332, 336, 436, 504, 506 भा०दं०सं० तथा धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट तथा धारा 3/4 राज्य सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में प्रस्तुत किया गया।

मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दौरान मुकदमा जमानत पर था। जमानत का दुरूपयोग करने पर अभियुक्त के विरूद्ध गिरफतारी वारंट जारी किया गया। अभियुक्त को वारंट पर गिरफतार कर दिनांक 21-12-2016 को जेल भेजा गया है।

अभियुक्त की ओर से यह कहा गया कि वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा और प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

अभियुक्त दिनांक 19-01-2014 से लगातार अनुपस्थित चल रहा है। अभियुक्त को दिनांक 21-12-2016 को पुलिस द्वारा वारंट पर गिरफतार करके जेल भेजा गया है। अभियुक्त ने प्रदत्त जमानत का दुरूपयोग किया है। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

तदनुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(आर०पी० सिंह)
दिनांकः 09-01-2017   अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-1,फिरोजाबाद।